



महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक स्था./एच.ओ/स्थाना/अटैच/प्र.मु.प्र./2020/68301-09

दिनांक 12/1/2021


आदेश

उप महानिरीक्षक कारागार रेंज उदयपुर के आदेश क्रमांक 4326-48 दिनांक 10.09.2019 के द्वारा सुश्री अंजु कुमारी, महिला प्रहरी नं.6122 का केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से जिला कारागृह, प्रतापगढ़ पर किया गया स्थानान्तरण तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 66029-41 दिनांक 30.03.2017 के द्वारा केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर से जिला कारागृह, धौलपुर किया गया अटैचमेन्ट व इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 33458-64 दिनांक 02.09.2019 के द्वारा जिला कारागृह, धौलपुर से जिला कारागृह, करौली पर किया गया अटैचमेन्ट तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सुश्री अंजु कुमारी अपनी उपस्थिति केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर पर देगी।


(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि अटैचमेन्ट कार्मिक को अविलम्ब मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त करे तथा कार्मिक की मूल पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाये:-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर, उदयपुर।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर, उदयपुर।
3. अधीक्षक/उपाधीक्षक, जिला कारागृह, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को वास्ते अपलोड हेतु।
5. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
6. रक्षक पत्रावली।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर
